

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
गोमाराम पुत्र गोनाराम जाति मेघवाल
निवासी भन्दर तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/ 677
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
04/11/25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम चामुन्डेरी स्थित भूमि खसरा नंबर 301 रकबा 4.7000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 23.50 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, चामुन्डेरी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

फर्द अहकाम



डिगरी बमुकदमें इब्दाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

वादीगण

गोमाराम पुत्र गोनाराम जाति मेघवाल
निवासी भन्दर तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/677
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम चामुन्देरी स्थित भूमि खसरा नंबर 301 रकबा 4.7000 हैक्टर किस्म बारानी दायम कुल लगान 23.50 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, चामुन्देरी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/11/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्णोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 25/10/2025 11:30:48 AM


जिला :पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र :चागुण्डेरी

पटवारी हल्का :चामुण्डेरी

ग्राम : चामुण्डेरी



अ. नि. गोमाराम चुनी w/g गोमाराम पुष्पा देवी w/g मालाराम

खसरा संख्या :301 क्षेत्रफल : 4.7000 Hectare खाता संख्या : 1203पुराना खाता संख्या :454

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी दोंयम [4.7000, 23.50]

- 1.) गोमाराम पुत्र गेना राम हिस्सा- 96/235 जाति- मेघवाल सा. भंदर खातेदार .
- 2.) चुनी पत्नि गोमाराम हिस्सा- 96/235 जाति- मेघवाल सा. भंदर खातेदार
- 3.) पुष्पा देवी पत्नि मालाराम हिस्सा- 43/235 जाति- मेघवाल सा कोठार तह बाली खातेदार

[Handwritten signature]

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

[Handwritten signature]
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
पटवारी(भू.अ.)
तह. बाली जिला-पाली

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सुन्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।